अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 (वित्त प्रभाग)

सं.1-2/लेखापरीक्षा/वाहन भत्ता/2020-21

दिनांक: 05 ,10.2020

<u>परिपत्र</u>

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वाहन भत्ते के कार्यान्वयन संबंधी।

कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.04.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-45012/04/2017-सी.एच.एस.-V(पी.टी.) [एफ.टी.एस. संख्या 3164690] द्वारा यथा अधिसूचित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वाहन भत्ते के विनियमन हेत् संलग्नक 'क' एवं 'ख' का अवलोकन करें।

संलग्नक-क वाहन भत्ते के विनियमन हेतु अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 की अवधि के लिए है जिसे कृपया दिनांक 15.10.2020 तक जमा कर दिया जाए।

संलग्नक-ख को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.04.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-45012/04/2017-सी.एच.एस.-V(पी.टी.) [एफ.टी.एस. संख्या 3164690] द्वारा यथा अधिसूचित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अन्सार वाहन भत्ते के दावे के लिए मासिक आधार पर प्रस्त्त किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)

प्रतिलिपि:

1. केन्द्रों के प्रमुख, संकाय एवं स्टाफ की सूचना हेत्।

्री याजी वर्षाः तो स्तिप् अर्थः को/o स्तिप् अर्थः को/o

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (सी.एच.एस. प्रभाग) के दिनांक 09 अप्रैल 2019 के पत्र संख्या ए-45012/04/2017-सी.एच.एस.-V (पी.टी.) [एफ.टी.एस. संख्या 3164690] के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल 2019 से सिंतबर 2020 की अविध के लिए वाहन भत्ते के विनियमन हेतु संकाय सदस्य/अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण।

आवासीय पता	महीना एवं वर्ष	अतिरिक्त दौरों की	दौरान की गई कुल	वाहन का प्रकार
	अप्रैल 2019	संख्या	किलोमीटर यात्रा	
	मई 2019			101001011 - 56
	जून 2019			
	जुलाई 2019			
	अगस्त 2019			17 11 11 11 11
	सिंतबर 2019			
	अक्टूबर 2019			
University of the second	नवंबर 2019			
	दिसंबर 2019			
	जनवरी 2020			
	फरवरी 2020			
	मार्च 2020		1	
	अप्रैल 2020			
	मई 2020			
	जून 2020			
	जुलाई 2020			
	अगस्त 2020			
	सितंबर 2020			

अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
वेतन कोड संख्या
विभाग

वेतन कोड संख्याः रजिस्टर संख्याः

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (सी.एच.एस.प्रभाग) के दिनांक 09 अप्रैल 2019 के पत्र संख्या ए-45012/04/2017-सी.एच.एस.-V(पी.टी.) [एफ.टी.एस. 3164690] तथा दिनांक 19 जुलाई 2017 के डी.ओ.ई. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1903903/2017-ई- IV के अनुसार वाहन भत्ता प्रदान हेतु संकाय सदस्य/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र।

	, 5
1.	प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माह के दौरान अस्पताल के कार्य के
	संबंध में अपने सामान्य इयूटी घंटों के अतिरिक्त यात्राएं (यात्राओं की
	संख्या), (क्ल किमी) एम्स अस्पताल के लिए की गई। मेरा आवासीय पता
	है, जो मेरे इयूटी के स्थान से किमी है।
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं नियमित रूप से अपनी मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर का
	रखरखाव कर रहा/रही हूं तथा यह कार्य करने की स्थिति में था और उपर्युक्त अविध के
	दौरान उसका अस्पताल के दौरे के लिए उपयोग किया गया था। मेरे वाहन की पंजीकरण
	संख्या है।
3.	प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा जिस वाहन की देखरेख की जा रही थी वह खराब
	होने के कारण प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं था/और न ही एक समय में 15 दिनों से
	अधिक अविध के लिए अस्पताल के दौरे हेतु प्रयोग किया गया था।
4.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं किसी भी कार/मोटर साइकिल/स्कूटर की देखरेख नहीं
	करता/करती हूं तथा अस्पताल आने के संबंध में मेरे द्वारा यातायात/वाहन के रूप में
	किराए पर जो व्यय किया गया है वह वाहन भत्ते के रूप में दावा की गई राशि की तुलना
	में कम नहीं था।
5.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं महीने के दौरान किसी भी प्रकार के दीर्घावकाश/छुट्टी अथवा
	अस्थायी स्थानांतरण, जिसके लिए वाहन भत्ते का दावा किया गया है, पर नहीं था/थी।
6.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं दिनांक से तक दीर्घावकाश/छुट्टी
	पर था/थी, जिसके लिए वाहन भत्ते का दावा नहीं किया गया है।
7.	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आधिकारिक इयूटी पर यात्रा हेतु माइलेज भत्ते के
	लिए कोई अन्य दैनिक भत्ता नहीं लिया है, चाहे वह दिल्ली की नगरपालिका सीमा के 8
	किमी की परिधि के भीतर अथवा उससे बाहर हो।
8.	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उक्त दौरों के लिए स्टाफ कार का प्रयोग
	नहीं किया गया है।
	अधिकारी के हस्ताक्षर
	पूरा नाम
	पदनाम
	वेतन कोड संख्या
	विभाग

कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Ansari Nagar, New-Delhi-29 (Finance Division)

No-1-2/Audit/Conveyance Allowance/2020-21

Dated 05.10.2020

CIRCULAR

 ${\bf Subject: -Implementation\ of\ Conveyance\ Allowance\ as\ per\ 7^{th}\ Central\ Pay\ Commission-Reg.}$

Please find enclosed Annexures A & B for regulation of Conveyance Allowance as per 7th Central Pay Commission, as notified by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Office Memorandum No.A-45012/04/2017-CHS-V (Pt) [FTS No. 3164690], Dated 09.04.2019.

Annexure-A is for regulation of Conveyance Allowance for the period w.e.f April-2019 to September 2020 which may please be submitted by 15.10.2020.

Annexure-B is to be submitted on monthly basis for claiming the Conveyance Allowance as per per 7th Central Pay Commission, as notified by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Office Memorandum No.A-45012/04/2017-CHS-V (Pt) [FTS No. 3164690], Dated 09.04.2019.

This has the approval of Competent Authority.

Hindi version will follow in due course.

(Joginder Singh)
Accounts Officer (Audit)

To

प्राप्त किया/RECEIVED

1. Chief of Centres, for circular among Faculty and Staff.

Computer Facility, for uploading on AIIMS website.

3. Hindi Section, for translation in Hindi.

8h. Sanjeev Kv.

Spralio

Salary Code No. Reg. No.

Certificate to be furnished by the Faculty/Officer for grant of Conveyance Allowance in terms of M/O Health & F.W. (CHS Division) Letter No. A-45012/04/2017-CHS-V (Pt.) (FTS No. 3164690), dated 9th April, 2019 and DoE's OM No. 1903903/2017-E-IV, dated 19th July, 2017.

Certified that I have made (num AIIMS Hospital outside my normal duty hours during the month of	My Residential address is:-
which is	Motor Car/Motor Cycle/Scooter and pital visits during the above period. The was not available for use owing to its visits for a period of more the 15 days otor Cycle/Scooter and the expenditure ince hire in connection with the hospital by me as conveyance allowance. of any kind or on temporary transfer wance has been claimed. tion/leave from
	Signature of Officer
	Full Name
	Designation
	Salary Code No
	Department
*Please strike out whichever is not applicable.	<u>.</u>

Annexture-A

Details to be furnished by Faculty/Officer for regulation of Conveyance Allowance for the period w.e.f. 4th April 2019 to September 2020 in terms of M/O Health & F.W. (CHS Division) Letter No. A-45012/04/2017-CHS-V (Pt.) (FTS No. 3164690), dated 9th April 2019.

Residential Address	Month & Year	No. of outside normal hours	Visits the duty	Total Kilor Travelled during month	the	Mode Conveyance	of
	April 2019				34		_
	May 2019						
	June 2019						
	July 2019						
	Aug. 2019						
	Sep. 2019						
	Oct. 2019						-
	Nov. 2019				7//		
	Dec. 2019						
	Jan. 2020						
21	Feb. 2020					1	_
	March 2020						
	April 2020						
	May 2020				100		_
	June 2020						
	July 2020						
	Aug. 2020						
3	Sep. 2020						

Signature of Officer	H-1
Full Name	
Designation	
Salary Code No	
Department	